



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270883
CG-DL-E-12032026-270883

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 165]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

सा.का.नि.171(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 2016, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 2026 है।
(ख) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषा** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
 - “संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी” से भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अभिप्रेत है;
 - “आयोग” से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है।
 - “विभागीय प्रोन्नति समिति”, “विभागीय स्थायीकरण समिति” और “विभागीय स्क्रीनिंग समिति” से तात्पर्य अनुसूची III में इंगित किसी भी श्रेणी में क्रमशः पदोन्नति, पुष्टिकरण, अकृत्यिक चयन श्रेणी अथवा अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने पर विचार करने के लिए गठित समितियों से है;
 - “कर्तव्य (ड्यूटी) पद” से नियम 3 में सम्मिलित कोई पद, चाहे स्थायी हो अथवा अस्थायी हो, अभिप्रेत है;

- (ङ) “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” का वही अर्थ और प्रयोज्यता होगी, जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 31 जनवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था. (आरक्षण) में निर्धारित है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है;
- (च) “सरकार” से केंद्र सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) “श्रेणी” से नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणियाँ अभिप्रेत है;
- (ज) “मंत्रालय” से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (झ) “अन्य पिछड़ा वर्ग” का वही अर्थ और प्रयोज्यता है जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8 सितंबर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) में निर्धारित है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है;
- (ञ) “किसी भी श्रेणी के संबंध में नियमित सेवा” से श्रेणी में चयनित होने के पश्चात उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि और इसमें सम्मिलित ऐसी अवधि अभिप्रेत है –
- (i) जो नियम 4 में निर्दिष्ट सेवा के मौजूदा अधिकारियों के मामले में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखी गई है।
- (ii) ऐसी अवधि जिसके दौरान अधिकारी ने उस श्रेणी में पद धारण किया हो, परंतु अवकाश पर होने अथवा अन्य किन्हीं कारणों से ऐसे पद को धारण करने के लिए उपलब्ध न रहा हो।
- (ट) “अनुसूची” से इन नियमों की संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ठ) “अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” के वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में दिए गए हैं; और
- (ड) “सेवा” से भारतीय सांख्यिकीय सेवा जिसका गठन सा.का.नि. 1320, दिनांक 1 नवम्बर, 1961 के अंतर्गत किया गया है और जिसमें सेवा में नियुक्त व्यक्ति शामिल हैं अभिप्रेत है।

3. श्रेणी, प्राधिकृत संख्या और उनका पुनर्विलोकन – (1) सेवा के विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य (ड्यूटी) पद, उक्त पदों की संख्या और उनसे जुड़े वेतन मैट्रिक्स में स्तर, नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार होंगे, अर्थात्: -

तालिका			
क्रम . सं.	श्रेणी, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदनाम	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शीर्ष स्तर 17, वेतन मैट्रिक्स: रु. 2,25,000/-	प्रधान महानिदेशक	01
2	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी + (एचएजी +) स्तर 16, वेतन मैट्रिक्स: रु. 2,05,400- 2,24,400/-	महानिदेशक/ प्रधान सांख्यिकीय सलाहकार	04
3	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) स्तर 15, वेतन मैट्रिक्स: रु. 1,82,200- 2,24,100/-	अपर महानिदेशक/ वरिष्ठ सांख्यिकीय सलाहकार	22
4	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) स्तर 14, वेतन मैट्रिक्स: रु. 1,44,200- 2,18,200/-	उप महानिदेशक/ सांख्यिकीय सलाहकार	143
5	अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी) स्तर 13, वेतन मैट्रिक्स: रु. 1,23,100- 2,15,900/-	निदेशक/ अपर सांख्यिकीय सलाहकार	190
6	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी) स्तर 12, वेतन मैट्रिक्स: रु. 78,800- 2,09,200/-	संयुक्त निदेशक/ संयुक्त सांख्यिकीय सलाहकार	
7	वरिष्ठ समय वेतनमान (एसटीएस) स्तर 11, वेतन मैट्रिक्स: रु. 67,700- 2,08,700/-	उप निदेशक/ उप सांख्यिकीय सलाहकार	206
8	कनिष्ठ समय वेतनमान (जेटीएस) स्तर 10, वेतन मैट्रिक्स: रु. 56,100- 1,77,500/-	सहायक निदेशक/ सहायक सांख्यिकीय सलाहकार	298

तालिका			
क्रम . सं.	श्रेणी, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदनाम	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
9	आरक्षित (रिज़र्व)		70
	कुल		934
<p>टिप्पणी 1: शीर्ष श्रेणी के अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव को रिपोर्ट करेंगे। टिप्पणी 2: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 में 'अकृत्यिक चयन श्रेणी' में अधिकारियों की संख्या संवर्ग में वरिष्ठ झूटी पदों (अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 और उससे ऊपर के पद) के तीस प्रतिशत तक सीमित होगी। संवर्ग की समग्र संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (स्तर-12) और अकृत्यिक चयन श्रेणी (स्तर-13) में अधिकारियों की संयुक्त संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।</p>			

- (2) उपनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी -
- (क) समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा/ अथवा व्यय विभाग द्वारा निर्धारित स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में झूटी पदों की अधिकृत संख्या, पदनाम तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर में ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा वह आवश्यक समझे।
- (ख) आयोग तथा सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (जहां लागू हो) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से, सेवा में ऐसे पद (उप-नियम (1) में शामिल पदों को छोड़कर) शामिल कर सकते हैं जो प्रतिष्ठा, श्रेणी, वेतनमान तथा व्यावसायिक संदर्भ में सेवा में शामिल पदों के समतुल्य हों, अथवा उप-नियम (1) में शामिल किसी पद को सेवा से बहिष्कृत कर सकते हैं।
- (ग) आयोग के परामर्श से, किसी अधिकारी को, जिसका पद खंड (ख) के अंतर्गत सेवा में सम्मिलित किया है, अस्थायी क्षमता में अथवा आधिकारिक क्षमता में, जैसा उचित हो, समुचित श्रेणी में नियुक्त कर सकते हैं और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार ऐसे श्रेणी में उसकी वरिष्ठता नियत कर सकते हैं।
- (3) कनिष्ठ समय वेतनमान में कर्तव्य पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, उम्र सीमा एवं शैक्षिक अर्हता अनुसूची-I में निर्दिष्ट अनुसार होगी।
- (4) सेवा के विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा अनुसूची-II में निर्दिष्ट अनुसार होगी और गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी का अनुदान अनुसूची-II (ए) में निर्दिष्ट अनुसार होगा।
- (5) विभागीय प्रोन्नति समिति, विभागीय स्थायीकरण समिति और विभागीय स्कीनिंग समिति की संरचना अनुसूची-III में निर्दिष्ट अनुसार होगी।
- (6) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों में सेवा के कर्तव्य पदों का विवरण अनुसूची-IV में निर्दिष्ट अनुसार होगा।
4. सेवा सदस्य - (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्:-
- (क) इन नियमों के लागू होने की तारीख को भारतीय सांख्यिकीय सेवा के विभिन्न श्रेणियों में नियमित आधार पर अथवा ग्रहणाधिकार पर झूटी पद धारण करने वाले मौजूदा अधिकारियों को इन नियमों के अंतर्गत झूटी पदों पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा; और;
- (ख) नियम 5 के अंतर्गत झूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।
- (2) उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उन पर लागू समुचित श्रेणी में सेवा के सदस्य बने रहेंगे।
- (3) उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत अपनी नियुक्ति की तारीख से उन पर लागू समुचित श्रेणी में सेवा के सदस्य बन जाएंगे।
- (4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी की इन नियमों के लागू होने से पूर्व, संबंधित तदनुसार श्रेणियों में की गई नियमित सेवा, वरिष्ठता, स्थायीकरण, पदोन्नति, अकृत्यिक चयन श्रेणी और अकृत्यिक उन्नयन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी।
5. सेवा का भावी रखरखाव - नियम 3 में निर्धारित विधि अनुसार किसी भी श्रेणी में झूटी पद निम्नलिखित तरीके से भरे जाएंगे, अर्थात्:

- (क) कनिष्ठ समय वेतनमान में पचास प्रतिशत रिक्तियां, अनुसूची-I में निर्धारित विधि अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी;
- (ख) कनिष्ठ समय वेतनमान में पचास प्रतिशत रिक्तियां, अनुसूची-II में निर्दिष्ट अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा से संबंधित अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी;
- (ग) सेवा में वरिष्ठ समय वेतनमान और उससे ऊपर (अकृत्यिक चयन श्रेणी (स्तर-13) को छोड़कर) के पदों पर नियुक्तियों, अनुसूची-II में निर्धारित न्यूनतम अर्हक सेवा और अनुसूची-III (भाग-क) के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित न्यूनतम अर्हक सेवा वाले अगली अवरश्रेणी के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा की जाएंगी;
- (घ) अकृत्यिक चयन श्रेणी में अधिकारियों की नियुक्ति अनुसूची-II (क) में निर्धारित वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी, जो अनुसूची-III (भाग-ग) के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर उपयुक्तता के अध्यधीन होगी।

6. अकृत्यिक उन्नयन – (1) अनुसूची-III (भाग-ग) में निर्दिष्ट विभागीय स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों पर सेवा के विभिन्न श्रेणियों (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी तक) में पात्र अधिकारियों को अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किया जाएगा:

परन्तु यदि किसी राज्य के संयुक्त कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स में विशिष्ट वेतन स्तर वाले किसी विशिष्ट श्रेणी पर केन्द्र में तैनात किया जाता है, तो सेवा के उन बैचों के अधिकारी जो दो वर्ष अथवा उससे अधिक वरिष्ठ हैं और जिन्हें अब तक उस विशिष्ट श्रेणी में पदोन्नत नहीं किया गया है, उन्हें समय-समय पर संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र में उस विशिष्ट श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की तैनाती की तिथि से अकृत्यिक आधार पर वही श्रेणी प्रदान किया जाएगा।

(2) जैसा कि सरकार द्वारा इस मामले में जारी आदेशों और निर्देशों में निर्धारित किया गया है, निर्धारित पात्रता मानदंड और सेवा के किसी विशिष्ट वेतन स्तर पर उन्नयन के लिए "बैचमार्क" सहित पदोन्नति मानदंडों सहित सभी नियम और शर्तें, आदि को उच्च वेतनमान प्रदान करने के लिए स्क्रीनिंग के समय पूरा करना होगा।

(3) अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने हेतु सेवा के अधिकारियों का "बैच" निम्नानुसार होगा:

- (क) सेवा के प्रवेश श्रेणी (कनिष्ठ समय वेतनमान) में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के संबंध में, बैच वर्ष उस वर्ष के बाद का वर्ष होगा जिसमें प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी जिसके माध्यम से उन्हें सेवा में नियुक्त किया गया था और बाद के श्रेणियों में, "बैच" वही रहेगा, बशर्ते किसी भी कारण से अधिकारी अतिष्ठित न किया गया हो और यदि किसी अधिकारी को अतिष्ठित किया जाता है, तो उस अधिकारी को उन अधिकारियों के "बैच" के साथ माना जाएगा जिनके साथ उसकी वरिष्ठता तय की गयी है;
- (ख) पदोन्नति द्वारा सेवा के प्रवेश श्रेणी (कनिष्ठ समय वेतनमान) में भर्ती किए गए अधिकारियों के संबंध में, "बैच" सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों का बैच होगा, जिनके साथ उनकी वरिष्ठता को जोड़ा जाएगा और बाद के श्रेणियों में, "बैच" वही रहेगा, बशर्ते अधिकारी को किसी भी कारण से अतिष्ठित न किया गया हो और यदि किसी अधिकारी को अतिष्ठित किया जाता है, तो उस अधिकारी को उन अधिकारियों के "बैच" के साथ माना जाएगा जिनके साथ उसकी वरिष्ठता तय की गयी है।

7. परिवीक्षा – (1) कनिष्ठ समय वेतनमान सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा;

परन्तु संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है;

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का कोई विनिश्चय, पिछली परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के पश्चात्, साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर ले लिया जाएगा और ऐसा किए जाने के कारण सहित संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर लिखित में भी संसूचित कराया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि अथवा उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर, यदि अधिकारी को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो उसे समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार तथा अनुसूची-III (भाग-ख) के अनुसार गठित विभागीय पुष्टिकरण समिति की संस्तुतियों के आधार पर स्थायीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

(3) यथास्तिति, परिवीक्षा की अवधि अथवा उसकी विस्तारित अवधि पर सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति का पात्र नहीं है, तो सरकार यथास्तिति उस अधिकारी को सेवामुक्त अथवा सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकती है।

(4) परिवीक्षा की अवधि अथवा उसकी विस्तारित अवधि के दौरान, सरकार द्वारा अभ्यर्थियों से अपेक्षित ऐसे प्रशिक्षण और अनुदेश पाठ्यक्रमों में भाग लेने और ऐसी परीक्षाओं अथवा परीक्षणों (जिसके अंतर्गत हिंदी परीक्षा भी है), जैसा वह उपयुक्त समझे, को उत्तीर्ण करने को परिवीक्षा के संतोषजनक रूप से सम्पन्न होने की शर्त बना सकती है।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, इस सेवा के सदस्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

8. वरिष्ठता – (1) इन नियमों के लागू होने पर सेवा के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता, इन नियमों के लागू होने की तिथि से पूर्व निर्धारित उनके संबंधित श्रेणियों में सापेक्ष वरिष्ठता होगी:

परन्तु यदि सेवा के किसी सदस्य की वरिष्ठता इन नियमों के लागू से पूर्व निर्धारित नहीं की गई है तो वह सरकार द्वारा समय-समय पर जारी वरिष्ठता संबंधी सामान्य अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(2) इन नियमों के लागू होने की तिथि के उपरांत सेवा के विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए वरिष्ठता संबंधी सामान्य आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

9. सेवा की अन्य शर्तें – सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत अथवा विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10. निरर्हता – वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह संतुष्टि है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

11. अवशिष्ट मामले – उन मामलों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के अधिकारियों पर लागू होती हैं।

12. शिथिल करने की शक्ति – जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा तथा उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके तथा आयोग के परामर्श से, किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकेगी।

13. निर्वचन: इन नियमों के निर्वचन संबंधी यदि कोई प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय सरकार द्वारा किया जाएगा।

14. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची - I

[देखें नियम 3(3) एवं 5]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान में सीधी भर्ती

1. सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान के पदों पर सीधी भर्ती आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षा (जिसे इस अनुसूची में आगे "परीक्षा" कहा जाएगा) के परिणाम के आधार पर की जाएगी।
2. परीक्षा में सफलता प्राप्त करना अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं प्रदान करता, जब तक कि सरकार, आवश्यकतानुसार जांच करने के बाद, इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
3. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात् अच्छे मानसिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्य में न पाया जाए और किसी ऐसे मानसिक अथवा शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए, जो सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न कर सकता हो।
4. **आयु सीमा**.- जिस वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी उस वर्ष के दौरान आयोग द्वारा अधिसूचित दिन पर अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. **शैक्षिक अर्हताएं**.- अभ्यर्थी के पास

- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री, जिसमें निम्नलिखित स्ट्रीम अर्थात् सांख्यिकी अथवा गणितीय सांख्यिकी अथवा अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में से किसी एक अथवा अधिक में से कम से कम तीन विषय अथवा पेपर हों। अथवा
- (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सांख्यिकी अथवा गणितीय सांख्यिकी अथवा अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में परास्नातक डिग्री।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी, जो कोई ऐसी अर्हक परीक्षा दे चुके हैं, अथवा देने वाले हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर वे इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जाएंगे, भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऐसे अभ्यर्थियों, जब अन्यथा पात्र हों, को भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु यह प्रवेश अंतिम माना जाएगा और इस शर्त के अधीन रहेगा कि यदि वह परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक दशा में परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात दो माह के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है, तो इस प्रवेश को निरस्त मन जाएगा।

6. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अन्यथा के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी उम्मीदवार को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

अनुसूची -II

[दिखें नियम 3(4) एवं 5]

भारतीय सांख्यिकी सेवा के विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा

क्रम सं .	श्रेणी का नाम	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति का आधार अथवा अचयन	चयन के क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शीर्ष	प्रोन्नति द्वारा	चयन	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+ के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में एक वर्ष की नियमित सेवा की हो।
2.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी +	प्रोन्नति द्वारा	चयन	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में एक वर्ष की नियमित सेवा की हो।
3.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा	चयन	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, अथवा समूह 'क' वर्ग के पदों पर पच्चीस वर्ष की नियमित सेवा की हो और एक वर्ष की नियमित सेवा वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में भी की हो।
4.	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा	चयन	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसमें अकृत्यिक चयन श्रेणी में की गई सेवा, यदि कोई हो, शामिल हो अथवा समूह 'क' वर्ग के पदों पर सत्रह वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसमें कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा शामिल हो (अकृत्यिक चयन श्रेणी में की गई सेवा सहित)।
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा	चयन	वरिष्ठ समय वेतनमान के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।
6.	वरिष्ठ समय वेतनमान	प्रोन्नति द्वारा	चयन	कनिष्ठ समय वेतनमान के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो।
7.	कनिष्ठ समय वेतनमान	(क) श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों के 50 प्रतिशत	(क) प्रयोज्य नहीं	(क) अनुसूची-I में निर्धारित ढंग में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। (ख) अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के स्तर-7 के अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

क्रम सं .	श्रेणी का नाम	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति का आधार अथवा अचयन	चयन के क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(ख) श्रेणी में पदोन्नति द्वारा रिक्तियों का 50 प्रतिशत	(ख) चयन	टिप्पणी: इन नियमों के प्रवृत्त होने पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा से संबंधित नियमित आधार पर पद धारण करने वाले विद्यमान अधिकारियों के संबंध में पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष होगी ।

टिप्पणी 1: वरिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नति के लिए कनिष्ठ समय वेतनमान में अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार तय की जाएगी ।

टिप्पणी 2: जहां कनिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने अपनी योग्यता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनसे वरिष्ठ अधिकारी के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई अर्हक अथवा पात्रता सेवा, वे अपेक्षित ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

अनुसूची -II (क)

[दिखें नियम 3(4) एवं 5]

क्रम सं .	श्रेणी का नाम	भर्ती की पद्धति	क्या पदोन्नति चयन अथवा अचयन आधार पर है	पदोन्नति के लिए चयन के क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी)	उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति	अचयन	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के वे अधिकारी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश किया है, जिसकी गणना उस परीक्षा वर्ष के बाद के वर्ष से की जाएगी जिसके आधार पर सदस्य की भर्ती की गई थी, अथवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के वे अधिकारी जिन्होंने कनिष्ठ समय वेतनमान पर पदोन्नति के माध्यम से सेवा में प्रवेश किया है और जिन्होंने तेरह वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, जिसकी गणना उस वर्ष से की जाएगी जिसमें अधिकारी को एनएफएसजी पर विचार किए जाने की तिथि को सेवा में समूह-'क' में पदोन्नत किया गया था ।

अनुसूची -III

भाग-क

[दिखें नियम 3(5) एवं 5]

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नति के संबंध में विचार किए जाने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना।

क्रम सं .	श्रेणी	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+ से शीर्ष में पदोन्नति।	1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 3. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय : सदस्य
2.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी से उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+ में पदोन्नति।	1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 3. प्रधान महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य
3.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी से उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में पदोन्नति।	1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 3. प्रधान महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य
4.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी से वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदोन्नति।	1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 3. प्रधान महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 4. वरिष्ठतम महानिदेशक/ प्रधान सांख्यिकीय सलाहकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य
5.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान से कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदोन्नति।	1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 3. प्रधान महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 4. अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय : सदस्य

क्रम सं .	श्रेणी	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना
6.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान से वरिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नति ।	1. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : अध्यक्ष 2. प्रधान महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 3. महानिदेशक/ प्रधान सांख्यिकीय सलाहकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 4. संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष, श्रम और रोजगार मंत्रालय : सदस्य
7.	अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नति ।	1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 3. महानिदेशक/ प्रधान सांख्यिकीय सलाहकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 4. अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग : सदस्य

टिप्पणी: उपर्युक्त संरचना में, जहां भी लागू हो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के महानिदेशक/ प्रधान सांख्यिकीय सलाहकार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किया जाएगा ।

भाग- ख

[देखें नियम 7]

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में स्थायीकरण के मामले पर विचार करने के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति का संरचना ।

क्रम सं .	श्रेणी	विभागीय स्थायीकरण समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान पर स्थायीकरण ।	1. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : अध्यक्ष 2. प्रधान महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 3. महानिदेशक/ प्रधान सांख्यिकीय सलाहकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 4. संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय : सदस्य

टिप्पणी: उपर्युक्त संरचना में, जहां भी लागू हो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के महानिदेशक/ प्रधान सांख्यिकीय सलाहकार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किया जाएगा ।

भाग- ग

[दिखें नियम 3(5), 5 एवं 6]

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में अकृत्यिक उन्नयन अथवा अकृत्यिक चयन श्रेणी प्रदान करने के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय स्क्रीनिंग समिति की संरचना ।

क्रम सं .	श्रेणी	विभागीय स्क्रीनिंग समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी) में नियुक्ति	1. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : अध्यक्ष 2. प्रधान महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 3. महानिदेशक/ प्रधान सांख्यिकीय सलाहकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 4. अपर सचिव अथवा समकक्ष, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय : सदस्य
2.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अकृत्यिक उन्नयन का उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी तक के लिए अनुमति देना	1. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : अध्यक्ष 2. प्रधान महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 3. महानिदेशक/ प्रधान सांख्यिकीय सलाहकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय : सदस्य 4. अपर सचिव अथवा समकक्ष, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय : सदस्य

टिप्पणी: उपर्युक्त संरचना में, जहां भी लागू हो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के महानिदेशक/ प्रधान सांख्यिकीय सलाहकार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किया जाएगा ।

अनुसूची-IV

[दिखें नियम 3(6)]

भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए झूटी पदों का विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग	स्वीकृत पद							कुल
		शीर्ष (स्तर 17)	एचएजी+ (स्तर 16)	एचएजी (स्तर 15)	एसएजी (स्तर 14)	एनएफएसजी/ जेएजी (स्तर 12/13)	एसटीएस (स्तर 11)	जेटीएस (स्तर 10)	
1	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय			1	4	6	6	5	22
	i	कृषि लागत और मूल्य आयोग, दिल्ली			1	1	1	1	4
	ii	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग							
	क	मुख्य विभाग, दिल्ली			1	1	2	1	2
	ख	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस), दिल्ली				1	3	2	2

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग		स्वीकृत पद							
			शीर्ष (स्तर 17)	एचएजी+ (स्तर 16)	एचएजी (स्तर 15)	एसएजी (स्तर 14)	एनएफएसजी/ जेएजी (स्तर 12/13)	एसटीएस (स्तर 11)	जेटीएस (स्तर 10)	कुल
	ग	विशिष्ट आंकड़े प्रसार मानक, दिल्ली				1		1		2
	घ	महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र, दिल्ली						1		1
2	आयुष मंत्रालय					1	2	1		4
3	मंत्रिमंडल सचिवालय, दिल्ली							1		1
4	रसायन और उर्वरक मंत्रालय					3	3	3	2	11
	i	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, दिल्ली				1	1	1	1	4
	ii	उर्वरक विभाग, दिल्ली				1	1	1	1	4
	iii	औषध विभाग, दिल्ली				1	1	1		3
5	नागर विमानन मंत्रालय					1	1	1		3
	i	मुख्य मंत्रालय, दिल्ली				1				1
	ii	नागर विमानन महानिदेशालय, दिल्ली					1	1		2
6	कोयला मंत्रालय					1		1	1	3
	i	मुख्य मंत्रालय, दिल्ली				1		1	1	3
7	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय				1	5	10	9	8	33
	i	वाणिज्य विभाग, दिल्ली				1	1	2		4
	ii	विदेश व्यापार महानिदेशालय								
	क	दिल्ली				1	1		1	3
	ख	मुंबई					1			1
	iii	वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (वा.जा.सां.म.नि.), कोलकाता			1	2	5	5	5	18
	iv	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, दिल्ली					1	1	1	3
	v	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीइआइआइटी), दिल्ली				1	1	1	1	4
8	संचार मंत्रालय					2	2	2		6
	i	दूरसंचार विभाग, दिल्ली				1	1	1		3
	ii	डाक विभाग, दिल्ली				1	1	1		3
9	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				1		2	2		5
	i	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग								
	क	मुख्य विभाग, दिल्ली			1		1			2

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग		स्वीकृत पद							
			श्रीष (स्तर 17)	एचएजी+ (स्तर 16)	एचएजी (स्तर 15)	एसएजी (स्तर 14)	एनएफएसजी/ जेएजी (स्तर 12/13)	एसटीएस (स्तर 11)	जेटीएस (स्तर 10)	कुल
	ख	राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एन.एस.आई.), कानपुर						1		1
	ii	उपभोक्ता मामले विभाग, दिल्ली					1	1		2
10		सहकारिता मंत्रालय, दिल्ली				1	1	1		3
11		कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय				1	1	1	1	4
	i	मुख्य मंत्रालय, दिल्ली				1	1	1	1	4
12		संस्कृति मंत्रालय					1	1		2
	i	मुख्य मंत्रालय, दिल्ली					1	1		2
13		रक्षा मंत्रालय					1	3	2	6
	i	सेना सांख्यिकी संगठन, एमआईएसओ, महानिदेशक सूचना प्रणाली, दिल्ली					1		1	2
	ii	पुनर्वास महानिदेशालय, दिल्ली						1		1
	iii	नौसेना मुख्यालय, सेना भवन, दिल्ली						1		1
	iv	सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, कंप्यूटर सेंटर, दिल्ली						1		1
	v	एयरोस्पेस सुरक्षा निदेशालय, महानिदेशक (आई एंड एस) शाखा, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली							1	1
14		उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, दिल्ली				1	1	1	1	4
15		शिक्षा मंत्रालय			2		2	4	4	12
	i	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, दिल्ली			1		1	2	2	6
	ii	उच्च शिक्षा विभाग, दिल्ली			1		1	2	2	6
16		इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दिल्ली						1		1
17		पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय			1	2	2	1	1	7
	i	मुख्य मंत्रालय, दिल्ली			1	1	1		1	4
	ii	भारतीय वन सर्वेक्षण (भा. व. स), देहरादून				1	1	1		3
18		विदेश मंत्रालय, दिल्ली					1	1		2
19		वित्त मंत्रालय				5	8	12	1	26
	i	आर्थिक कार्य विभाग, दिल्ली					1	1		2
	ii	वित्तीय सेवा विभाग, दिल्ली				1	1	1		3
	iii	व्यय विभाग, दिल्ली				1		1	1	3

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग		स्वीकृत पद							
			शीर्ष (स्तर 17)	एचएजी+ (स्तर 16)	एचएजी (स्तर 15)	एसएजी (स्तर 14)	एनएफएसजी/ जेएजी (स्तर 12/13)	एसटीएस (स्तर 11)	जेटीएस (स्तर 10)	कुल
	iv	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, दिल्ली						1		1
	v	लोक उद्यम विभाग, दिल्ली					1	1		2
	vi	राजस्व विभाग								
	क	मुख्य विभाग, दिल्ली				1	1			2
	ख	कर अनुसंधान इकाई (टीआरयू), दिल्ली					1	2		3
	ग	वित्तीय आसूचना एकक, दिल्ली						2		2
	घ	निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, दिल्ली				1	1	2		4
	ङ	ओ पीआर. आयकर महानिदेशक (प्रशासन), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), दिल्ली				1	2	1		4
20		मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय				2	3	4	5	14
	i	मत्स्य पालन विभाग, दिल्ली				1	1	2	2	6
	ii	पशुपालन और डेयरी विभाग, दिल्ली				1	2	2	3	8
21		खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, दिल्ली				1		1	1	3
22		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		1		7	7	14	7	36
	i	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली		1		2	5	5	2	15
	ii	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस)								
	क	डीजीएचएस मुख्यालय, दिल्ली				1		1	2	4
	ख	अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएचपीएच), कोलकाता				1	1			2
	ग	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नई दिल्ली				1			1	2
	घ	राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान (एनटीआई), बेंगलुरु				1		1		2
	ङ	केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (सीबीएचआई)								
	i	दिल्ली मुख्यालय				1	1		2	4
	ii	बेंगलुरु						1		1
	iii	भोपाल						1		1
	iv	जयपुर						1		1

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग		स्वीकृत पद							
			शीर्ष (स्तर 17)	एचएजी+ (स्तर 16)	एचएजी (स्तर 15)	एसएजी (स्तर 14)	एनएफएसजी/ जेएजी (स्तर 12/13)	एसटीएस (स्तर 11)	जेटीएस (स्तर 10)	कुल
	ग	अहमदाबाद							1	1
	घ	चंडीगढ़					1	1	1	3
28	विधि और न्याय मंत्रालय						1	1		2
	i	न्याय विभाग, दिल्ली					1	1		2
29	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)					2	3	5	6	16
	i	मुख्य मंत्रालय, दिल्ली				1	2	1		4
	ii	विकास आयुक्तालय कार्यालय								
	क	दिल्ली मुख्यालय				1	1	1	5	8
	ख	दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय						1	1	2
	ग	चेन्नई						1		1
	घ	मुंबई						1		1
30	खान मंत्रालय						1	2	2	5
	i	मुख्य मंत्रालय, दिल्ली					1	1	1	3
	ii	भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर						1	1	2
31	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय						1	1		2
	i	मुख्य मंत्रालय, दिल्ली					1	1		2
32	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी), दिल्ली							1		1
33	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, दिल्ली					1	1		1	3
34	नीति आयोग				1	3	7	7	4	22
	i	नीति आयोग, दिल्ली			1	2	4	4	4	15
	ii	विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), दिल्ली				1	3	3		7
35	पंचायती राज मंत्रालय, दिल्ली							1		1
36	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय						1	1		2
	i	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली					1	1		2
37	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, दिल्ली					1	1	1		3
38	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, दिल्ली					1	1	1		3
39	विद्युत मंत्रालय, दिल्ली					1		1		2
40	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, दिल्ली					1		1		2
41	ग्रामीण विकास मंत्रालय				1	2	3	2	4	12
	i	ग्रामीण विकास विभाग, दिल्ली			1	1	2	1	4	9

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग		स्वीकृत पद							
			श्रीष (स्तर 17)	एचएजी+ (स्तर 16)	एचएजी (स्तर 15)	एसएजी (स्तर 14)	एनएफएसजी/ जेएजी (स्तर 12/13)	एसटीएस (स्तर 11)	जेटीएस (स्तर 10)	कुल
	ii	भूमि संसाधन विभाग, दिल्ली				1	1	1		3
42	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय					1	2	1		4
	i	बायोटेक्नोलॉजी विभाग, दिल्ली					1	1		2
	ii	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली				1	1			2
43	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, दिल्ली					1	1	1		3
44	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					2	1	2	2	7
	i	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, दिल्ली				1	1	1	1	4
	ii	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिल्ली				1		1	1	3
45	इस्पात मंत्रालय, दिल्ली					1	1	1	1	4
46	वस्त्र मंत्रालय					1	1	2		4
	i	मुख्य मंत्रालय, दिल्ली				1		1		2
	ii	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), दिल्ली					1			1
	iii	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई						1		1
47	पर्यटन मंत्रालय				1	1	1	1	3	7
	i	मुख्य मंत्रालय, दिल्ली			1	1	1	1	3	7
48	जनजातीय कार्य मंत्रालय, दिल्ली					1	1	1		3
49	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दिल्ली					1	1	2	4	8
50	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय						2	2		4
	i	खेल विभाग, दिल्ली					1	1		2
	ii	युवा कार्यक्रम विभाग, दिल्ली					1	1		2
51	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		1	2	12	73	90	80	217	475
	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)		1	2	12	73	90	80	217	475
1	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का कार्यालय							1		1
2	प्रधान महानिदेशक		1							1
3	महानिदेशक			2						2
4	आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग, दिल्ली				1	2	3	3	2	11
5	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, दिल्ली				1	4	8	7	4	24
6	मूल्य सांख्यिकी प्रभाग, दिल्ली				1	1	2	2	2	8
7	सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, दिल्ली				1	3	3	4	2	13
8	क्षमता विकास प्रभाग (सी.डी.डी.)				1*	1	4	5	1	12

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग		स्वीकृत पद							
			श्रीष (स्तर 17)	एचएजी+ (स्तर 16)	एचएजी (स्तर 15)	एसएजी (स्तर 14)	एनएफएसजी/ जेएजी (स्तर 12/13)	एसटीएस (स्तर 11)	जेटीएस (स्तर 10)	कुल
	i	उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग, कोलकाता			1*	5	8	4	3	21
	क	उद्यम सर्वेक्षण इकाई, दिल्ली				1	1	1	2	5
	ख	उद्यम सर्वेक्षण इकाई, गिरिडीह					1		1	2
	ग	उद्यम सर्वेक्षण इकाई, अहमदाबाद				1	1	1	1	4
16	क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग				2	39	36	33	185	295
	i	मुख्यालय, दिल्ली			1#	4	3	7	4	19
	ii	कृषि सांख्यिकी विंग				1	1	1		3
	iii	समन्वय और गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग (सीक्यूसीडी)								
	क	सीक्यूसीडी मुख्यालय, दिल्ली			1\$	1	2	2	2	8
	ख	आंचलिक कार्यालय, कोलकाता				1	1		1	3
	ग	आंचलिक कार्यालय, लखनऊ				1	1		1	3
	घ	आंचलिक कार्यालय, जयपुर				1	1		1	3
	ङ	आंचलिक कार्यालय, बेंगलुरु				1	1		1	3
	च	आंचलिक कार्यालय, नागपुर				1	1		1	3
	छ	आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी				1	1		1	3
16.1	उत्तरी क्षेत्र (क्षेत्रीय कार्यालय-9, उप क्षेत्रीय कार्यालय-21)					6	3	6	30	45
	1	जम्मू				1		1		2
	1.1	उधमपुर							1	1
	2	श्रीनगर					1		1	2
	2.1	अनंतनाग							1	1
	2.2	बारामूला							1	1
	3	जयपुर				1		1	2	4
	3.1	अलवर							1	1
	3.2	श्री गंगानगर							1	1
	3.3	कोटा							1	1
	4	अजमेर					1		1	2
	4.1	जोधपुर							1	1
	4.2	उदयपुर							1	1
	5	मोहाली				1		1	1	3

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग		स्वीकृत पद							कुल	
			शीर्ष (स्तर 17)	एचएजी+ (स्तर 16)	एचएजी (स्तर 15)	एसएजी (स्तर 14)	एनएफएसजी/ जेएजी (स्तर 12/13)	एसटीएस (स्तर 11)	जेटीएस (स्तर 10)		
	4.3	फैजाबाद/ अयोध्या								1	1
	4.4	वाराणसी								1	1
	5	आगरा					1			1	2
	5.1	अलीगढ़								1	1
	5.2	मेरठ								1	1
	6	ग्वालियर					1			1	2
	6.1	रतलाम								1	1
	6.2	शिवपुरी								1	1
	6.3	उज्जैन								1	1
	7	जबलपुर					1			1	2
	7.1	रीवा								1	1
	7.2	सागर								1	1
	8	भोपाल				1		1		1	3
	8.1	छिंदवाड़ा								1	1
	8.2	इंदौर								1	1
	8.3	खंडवा								1	1
16.6		पश्चिमी क्षेत्र (क्षेत्रीय कार्यालय-7, उप क्षेत्रीय कार्यालय-19)				3	4	3		27	37
	1	रायपुर				1		1		1	3
	1.1	दुर्ग								1	1
	1.2	अंबिकापुर								1	1
	1.3	बिलासपुर								1	1
	2	नागपुर					1			2	3
	2.1	अकोला								1	1
	2.2	अमरावती								1	1
	3	पुणे					1			1	2
	3.1	कोल्हापुर								1	1
	3.2	सोलापुर								1	1
	4	मुंबई				1		1		1	3
	4.1	ठाणे								1	1
	5	औरंगाबाद					1			1	2

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग		स्वीकृत पद						कुल		
			शीर्ष (स्तर 17)	एचएजी+ (स्तर 16)	एचएजी (स्तर 15)	एसएजी (स्तर 14)	एनएफएसजी/ जेएजी (स्तर 12/13)	एसटीएस (स्तर 11)		जेटीएस (स्तर 10)	
		5.1	जलगांव							1	1
		5.2	नांदेड़							1	1
		5.3	नासिक							1	1
	6	अहमदाबाद					1		1	1	3
		6.1	जामनगर							1	1
		6.2	राजकोट							1	1
		6.3	भावनगर							1	1
		6.4	सुरेंद्रनगर							1	1
	7	वडोदरा						1		1	2
		7.1	नडियाड							1	1
		7.2	सूरत							1	1
		7.3	महसाणा/ महसाना							1	1
		7.4	वलसाड							1	1
आरक्षित										70	70
कुल योग				1	4	22	143	190	206	368	934

* एचएजी स्तर के अधिकारी अपने संबंधित प्रभागों का कार्यभार देखेंगे।

@ एसएजी स्तर के अधिकारी अपने संबंधित प्रभागों का कार्यभार देखेंगे।

एचएजी स्तर के अधिकारी कार्यालयों (एफओडी मुख्यालय, कृषि सांख्यिकी विंग और क्षेत्रीय कार्यालय) का कार्यभार देखेंगे।

\$ एचएजी स्तर के अधिकारी कार्यालयों (सीएंडक्यूसीडी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों) का कार्यभार देखेंगे।

टिप्पणी: उपरोक्त स्वीकृत पदों का आवंटन सांकेतिक है और प्रशासनिक आवश्यकताओं और अधिकारियों की उपयुक्तता के आधार पर सुगम तरीके से संचालित किया जा सकता है।

[फा. सं. 11011/01/2018-आईएसएस]

पूजा सिंह मंडल, अपर सचिव,

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th of March, 2026

G.S.R. 171(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Statistical Service Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely: -

- 1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Indian Statistical Service Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**- In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) **“Cadre Controlling Authority”** means the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India;
- (b) **“Commission”** means the Union Public Service Commission;
- (c) **“Departmental Promotion Committee”, “Departmental Confirmation Committee” and “Departmental Screening Committee”** means the Committees constituted to consider promotion, confirmation and grant of Non-Functional Selection Grade or Non-Functional Upgradation, respectively, in any of the grades as indicated in Schedule III;
- (d) **“duty post”** means any of the posts, whether temporary or permanent, specified in rule 3;
- (e) **“economically weaker sections”** shall have the same meaning and applicability as laid down in the Office Memorandum No. 36039/1/2019- Estt(Res) dated the 31st January, 2019, of the Department of Personnel and Training, Government of India, as amended from time to time;
- (f) **“Government”** means the Central Government;
- (g) **“grade”** means any of the grades specified in sub-rule (1) of rule 3;
- (h) **“Ministry”** means the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India;
- (i) **“Other Backward Classes”** shall have the same meaning and applicability as laid down in the Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt(SCT) dated the 8th September, 1993, of the Department of Personnel and Training, Government of India, as amended from time to time;
- (j) **“regular service in relation to any grade”** means the period of service in that grade rendered after selection to the grade and includes any period-
- (i) taken into account for the purpose of seniority in the case of existing officers of the Service referred to in rule 4;
- (ii) during which an officer shall have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;
- (k) **“Schedule”** means a Schedule appended to these rules;
- (l) **“Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes”** shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India; and
- (m) **“Service”** means the Indian Statistical Service constituted vide G.S.R. 1320, dated 1st November, 1961 consisting of persons appointed to the Service.

3. **Grade, authorised strength and its review.**- (1) The duty posts included in various grades of the Service, the number of the said posts and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in the Table below, namely:-

Table			
Sl. No.	Grade, level in pay matrix as per 7 th Central Pay Commission	Name of the post	Number of posts
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Apex Level 17, Pay Matrix: Rs. 2,25,000/-	Principal Director General	01
2.	Higher Administrative Grade plus (HAG Plus) Level 16, Pay Matrix: Rs. 2,05,400-2,24,400/-	Director General/ Principal Statistical Adviser.	04
3.	Higher Administrative Grade (HAG) Level 15, Pay Matrix: Rs. 1,82,200-2,24,100/-	Additional Director General/ Senior Statistical Adviser.	22

4.	Senior Administrative Grade (SAG) Level 14, Pay Matrix: Rs. 1,44,200-2,18,200/-	Deputy Director General/ Statistical Adviser.	143
5.	Non-Functional Selection Grade (NFSG) Level 13, Pay Matrix: Rs. 1,23,100-2,15,900/-	Director/ Additional Statistical Adviser.	190
6.	Junior Administrative Grade (JAG) Level 12, Pay Matrix: Rs. 78,800- 2,09,200/-	Joint Director/ Joint Statistical Adviser.	
7.	Senior Time Scale (STS) Level 11, Pay Matrix: Rs. 67,700- 2,08,700/-	Deputy Director/ Deputy Statistical Adviser.	206
8.	Junior Time Scale (JTS) Level 10, Pay Matrix: Rs. 56,100- 1,77,500/-	Assistant Director/ Assistant Statistical Adviser.	298
9.	Reserve.		70
	Total		934

Note 1: The officer in the Apex grade shall report to the Secretary of the Ministry.

Note 2: The number of officers in Non-Functional Selection Grade in level-13 in the pay matrix shall be restricted to thirty per cent of senior duty posts (that is posts in level-11 and above in the pay matrix) in the cadre and there shall be no increase in the overall strength of the cadre and the combined number of officers in Junior Administrative Grade (Level-12) and the Non-Functional Selection Grade (level-13) shall not exceed the number of posts available in the Junior Administrative Grade.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Cadre Controlling Authority may-
- from time to time make such alteration in the authorised strength, name of the post and level in the pay matrix of the duty posts in various grades as it may deem necessary, in accordance with the established procedure as laid down by the Department of Personnel and Training and / or Department of Expenditure from time to time,
 - in consultation with the Commission and the Government in the Ministry of Finance, Department of Expenditure (where applicable) and Department of Personnel and Training, include in the Service such posts (other than those included in sub-rule (1)) as may be equivalent to the posts included in the service in status, grades, scales of pay and professional context, or exclude from the service any posts included in sub-rule (1).
 - in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under clause (b) to the appropriate grade in temporary capacity or in a substantive capacity as it may deem fit, and fix his seniority in such a grade in accordance with the orders and instructions issued by the Government from time to time.
- (3) The method of recruitment, age limit and educational qualifications for appointment to duty post in the Junior Time Scale shall be as specified in Schedule-I.
- (4) The minimum qualifying service for appointment of officers on promotion to posts in the various grades of the Service shall be as specified in Schedule-II and grant of Non-Functional Selection Grade shall be as specified in Schedule-II (A).
- (5) The composition of the Departmental Promotion Committee, Departmental Confirmation Committee and the Departmental Screening Committee shall be as specified in Schedule-III.
- (6) The statement of the duty posts of the Service in various Ministries or Departments of the Government shall be as specified in Schedule-IV.
- 4. Members of Service:** (1) The following persons shall be members of the Service, namely :-
- existing officers of the Indian Statistical Service holding duty posts on regular basis or on lien in various grades of the Service as on the date of commencement of these rules shall deemed to have been appointed to the duty posts under these rules; and;

(b) persons appointed to the duty posts under Rule 5.

(2) A person referred to in clause (a) of sub-rule (1) shall continue to be a member of the Service in the appropriate grade as applicable to him.

(3) A person referred to in clause (b) of sub-rule (1) shall become a member of the Service in the appropriate grade applicable to him from the date of his appointment under these rules.

(4) The regular service of an officer referred to in sub-rule (1) in the respective corresponding grades, rendered prior to the commencement of these rules, shall be counted as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, Non-Functional Selection Grade and Non-Functional Upgradation.

5. Future maintenance of Service.- The duty posts in any of the grades specified in rule 3, shall be filled in the following manner, namely:-

- (a) Fifty per cent of the vacancies in Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment through an open competitive examination to be held by the Commission as specified in Schedule-I;
- (b) Fifty per cent of the vacancies in the Junior Time Scale shall be filled by promotion from amongst officers belonging to the Subordinate Statistical Service as specified in Schedule II;
- (c) the appointments to the posts of Senior Time Scale and above (except for Non-Functional Selection Grade) (Level-13) in the Service shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower grade with the minimum qualifying service as specified in Schedule-II and as recommended by the Departmental Promotion Committees constituted in accordance with Schedule-III (Part-A);
- (d) the placements of officers to Non-Functional Selection Grade shall be made on the basis of seniority as specified in Schedule-II(A), subject to suitability on the recommendation of the Departmental Screening Committee constituted for this purpose in accordance with Schedule-III (Part-C).

6. Non-Functional Upgradation.- (1) Non-Functional Upgradation shall be granted to the eligible officers in various grades upto Higher Administrative Grade of the Service on the recommendations of the Departmental Screening Committee, as specified in Part-C of Schedule-III:

provided that if any Indian Administrative Service officer of the State of Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific level in the pay matrix, the officers belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officer in that particular grade at the Centre, in terms of the provisions of the Department of Personnel and Training, as amended from time to time.

(2) As prescribed in the orders and instructions issued in the matter by the Government, all the terms and conditions including the prescribed eligibility criteria and promotional norms including “benchmark” for up-gradation to a particular level of the Service, etc., shall have to be met at the time of screening for grant of higher pay-scale.

(3) The “Batch” of the officers of the Service for determining their eligibility for grant of Non-Functional Upgradation shall be as hereinafter provided, namely:-

- (a) in respect of the officers who have been directly recruited to the entry grade (Junior Time Scale) of the Service, the Batch year shall be the year following the year in which competitive examination was held through which they were appointed to the Service and in subsequent grades, the “Batch” shall remain the same provided the officer is not superseded due to any reasons and in case an officer is superseded, the officer shall be considered along with the “Batch” of the officers with whom his seniority is fixed;
- (b) in respect of the officers who have been recruited to the entry grade (Junior Time Scale) of the Service by promotion, the “Batch” shall be the batch of the directly recruited officers, with whom their seniority is clubbed and in subsequent grades, the “Batch” shall remain the same provided the officer is not superseded due to any reasons and in case an officer is superseded, the officer shall be considered along with the “Batch” of the officers with whom his seniority is fixed.

7. Probation.- (1) Every officer appointed to the Service, either by direct recruitment or by promotion in Junior Time Scale shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Cadre Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and shall also be communicated in writing to the concerned officer together with reasons for so doing, within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officer shall, if considered fit for permanent appointment, be considered for confirmation, in terms of the orders of the Government issued from time to

time, and on the basis of the recommendations of the Departmental Confirmation Committee constituted in accordance with Schedule-III (Part B).

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, the candidate may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as it may think fit, as a condition to satisfactory completion of probation.

(5) As regards to other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

8. Seniority.- (1) The relative seniority of the members of the Service on commencement of these rules shall be the relative seniority in their respective grades as determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any member of the Service had not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Government, in accordance with the general instructions on seniority issued by the Government from time to time.

(2) The seniority of persons appointed to various grades of the Service on and after the date of commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Government from time to time.

9. Other conditions of Service.- An officer appointed to the Service shall be liable to serve anywhere, in India or abroad.

10. Disqualification.- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Government may, if it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any such person from the operation of this rule.

11. Residuary matters.- The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as are applicable from time to time to officers of equivalent grade of the Government.

12. Power to relax.- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. Interpretation.- If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government.

14. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE-I

[See rules 3(3) and 5]

DIRECT RECRUITMENT THROUGH COMPETITIVE EXAMINATION TO JUNIOR TIME SCALE OF THE SERVICE CONDUCTED BY UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

1. Direct recruitment to the posts of Junior Time Scale of the Service shall be made on the basis of the results of an open competitive examination (hereafter in this Schedule referred to as "examination") conducted by the Commission.
2. Success in the examination confers no right for appointment, unless Government is satisfied, after conducting enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

3. No candidate shall be appointed to the Service, who after such medical examination, as the Government may prescribe, is not found to be in good mental or bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the Service.
4. **Age limit.**- A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on the day as notified by the Commission during the year in which the examination is held.
5. **Educational qualifications.**- A candidate must have obtained-
 - (a) a Bachelor's degree in any discipline having at least three subjects or papers from any one or more of the following streams, namely, Statistics or Mathematical Statistics or Applied Statistics, from a recognised University or Institute.
 - or
 - (b) a Master's degree in Statistics or Mathematical Statistics or Applied Statistics from a recognised University or Institute.

Note: A candidate who has appeared or intends to appear at such examination, the passing of which shall render him eligible to appear at the examination may apply for admission to the examination and such a candidate may be admitted to the examination, as otherwise eligible, but the admission shall be deemed to be provisional and subject to cancellation if he does not produce the proof of having passed the examination as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of the examination.

6. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

SCHEDULE-II

[See rules 3(4) and 5]

The minimum qualifying service for appointment of officers on promotion to posts, in the various grades of Indian Statistical Service

Sl. No.	Name of the Grade	Method of recruitment	Whether promotion is on selection or non-selection basis	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Apex	By promotion	Selection	Officers of the Higher Administrative Grade Plus with one year of regular service in the grade.
2.	Higher Administrative Grade Plus	By promotion	Selection	Officers of the Higher Administrative Grade with one year of regular service in the grade.
3.	Higher Administrative Grade	By promotion	Selection	Officers of the Senior Administrative Grade with three years regular service in the Grade or with twenty- five years regular service in Group A posts with one year regular service should be in the Senior Administrative Grade.
4.	Senior Administrative Grade	By promotion	Selection	Officers in the Junior Administrative Grade with eight years regular service in the Grade inclusive of service, if any, rendered in the Non-Functional Selection Grade or with seventeen years of regular service in Group A posts inclusive of four years of regular service in the Junior Administrative Grade (including service rendered in the Non-Functional Selection Grade).

Sl. No.	Name of the Grade	Method of recruitment	Whether promotion is on selection or non-selection basis	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Junior Administrative Grade	By promotion	Selection	Officers in the Senior Time Scale with five years regular service in the grade.
6.	Senior Time Scale	By Promotion	Selection	Officers in the Junior Time Scale with four years regular service in the grade.
7.	Junior Time Scale	(i) Fifty per cent of the vacancies in the Grade by direct recruitment; and (ii) Fifty per cent of the vacancies in the Grade by promotion.	(i) Not applicable (ii) Selection	(i) Through an open competitive examination conducted by the Commission in the manner prescribed in Schedule- I. (ii) By promotion from amongst officers belonging to the Sub-ordinate Statistical Service of level 7 with five years regular service in the grade. Note: The eligibility service for promotion in respect of existing officers belonging to the Subordinate Statistical Service in level 7 of the pay matrix holding the post on regular basis as on the commencement of these rules shall be three years.

Note 1: The inter-se seniority of officers in the Junior Time Scale cadre for promotion to Senior Time Scale is fixed in terms of Department of Personnel and Training guidelines.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE-II (A)

[See rules 3(4) and 5]

Sl. No.	Name of the Grade	Method of recruitment	Whether promotion is on selection or non-selection basis	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Non-Functional Selection Grade	By placement on seniority basis subject to suitability.	Non-selection	Officers of the Junior Administrative Grade who have entered the fourteenth year of service as on the 1 st January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the member was recruited. or Officers of the Junior Administrative Grade who have entered the service through promotion at the Junior Time

				Scale and have completed thirteen years of regular service calculated from the year in which the officer was promoted to Group-A in the service on the date of consideration of Non-Functional Selection Grade
--	--	--	--	--

SCHEDULE-III**Part- A**

[See rules 3(5) and 5]

Composition of Departmental Promotion Committee for considering the case of promotion in the Indian Statistical Service.

Sl. No.	Grade	Composition of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)
1.	Promotion from Higher Administrative Grade Plus to Apex of the Indian Statistical Service.	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman; 2. Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 3. Secretary, Ministry of Labour and Employment : Member.
2.	Promotion from Higher Administrative Grade to Higher Administrative Grade Plus of the Indian Statistical Service.	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman; 2. Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 3. Principal Director General, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member.
3.	Promotion from Senior Administrative Grade to Higher Administrative Grade of the Indian Statistical Service.	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman; 2. Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 3. Principal Director General, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member.
4.	Promotion from Junior Administrative Grade to Senior Administrative Grade of the Indian Statistical Service.	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman; 2. Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 3. Principal Director General, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 4. Senior Most Director General/ Principal Statistical Adviser, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member.
5.	Promotion from Senior Time Scale to Junior Administrative Grade of the Indian Statistical Service.	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman; 2. Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 3. Principal Director General, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 4. Additional Secretary or Joint Secretary or equivalent, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry : Member.

Sl. No.	Grade	Composition of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)
6.	Promotion from Junior Time Scale to Senior Time Scale of the Indian Statistical Service.	1. Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Chairman; 2. Principal Director General, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 3. Director General/ Principal Statistical Adviser, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 4. Joint Secretary or equivalent, Ministry of Labour and Employment : Member.
7.	Promotion from Subordinate Statistical Service to Junior Time Scale (JTS) of Indian Statistical Service.	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman; 2. Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 3. Director General/ Principal Statistical Adviser, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 4. Additional Secretary or Joint Secretary or equivalent, Department of Personnel and Training : Member.

Note: In above compositions, wherever applicable, Director General/ Principal Statistical Adviser, Ministry of Statistics and Programme Implementation shall be nominated by the Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation.

Part- B

[See rule 7]

Composition of Departmental Confirmation Committee for considering the case of confirmation in the Indian Statistical Service.

Sl. No.	Grade	Composition of Departmental Confirmation Committee
(1)	(2)	(2)
1.	Confirmation at Junior Time Scale of Indian Statistical Service.	1. Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Chairman; 2. Principal Director General, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 3. Director General/ Principal Statistical Adviser, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 4. Joint Secretary or equivalent, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti : Member.

Note: In above compositions, wherever applicable, Director General/ Principal Statistical Adviser, Ministry of Statistics and Programme Implementation shall be nominated by the Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation.

Part- C

[See rules 3(5), 5 and 6]

Composition of Departmental Screening Committee for considering the cases for grant of Non-Functional Upgradation/ Non-Functional Selection Grade in the Indian Statistical Service.

Sl. No.	Grade	Composition of Departmental Screening Committee
(1)	(2)	(3)
1.	Appointment to the Non-Functional Selection Grade of the Indian Statistical Service	1. Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Chairman; 2. Principal Director General, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 3. Director General/ Principal Statistical Adviser, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 4. Additional Secretary or equivalent, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare : Member.
2.	Grant of Non-Functional Upgradation to the grade up to and including Higher Administrative Grade of the Indian Statistical Service	1. Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Chairman; 2. Principal Director General, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 3. Director General/ Principal Statistical Adviser, Ministry of Statistics and Programme Implementation : Member; 4. Additional Secretary or equivalent, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare : Member.

Note: In above compositions, wherever applicable, Director General/ Principal Statistical Adviser, Ministry of Statistics and Programme Implementation shall be nominated by the Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation.

SCHEDULE-IV

[See rule 3(6)]

STATEMENT OF DUTY POSTS FOR THE INDIAN STATISTICAL SERVICE

Sl. No.	Ministry or Department		Sanctioned Posts in							
			Apex (L-17)	HAG+ (L-16)	HAG (L-15)	SAG (L-14)	NFSG/JAG (L-12/13)	STS (L-11)	JTS (L-10)	Total
1	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare				1	4	6	6	5	22
	(i)	Commission for Agricultural Costs and Prices, Delhi				1	1	1	1	4
	(ii)	Department of Agriculture and Farmers Welfare, Delhi								
	(a)	Department Proper, Delhi			1	1	2	1	2	7
	(b)	Directorate of Economics and Statistics, Delhi				1	3	2	2	8
	(c)	Special Data Dissemination Standard (SDDS), Delhi				1		1		2
	(d)	Mahalanobis National Crop Forecasting Centre, Delhi						1		1
2	Ministry of AYUSH, Delhi					1	2	1		4
3	Cabinet Secretariat, Delhi							1		1
4	Ministry of Chemicals and Fertilizers					3	3	3	2	11
	(i)	Department of Chemicals and Petrochemicals, Delhi				1	1	1	1	4
	(ii)	Department of Fertilizers, Delhi				1	1	1	1	4
	(iii)	Department of Pharmaceuticals, Delhi				1	1	1		3
5	Ministry of Civil Aviation					1	1	1		3
	(i)	Ministry Proper, Delhi				1				1
	(ii)	Directorate General of Civil Aviation, Delhi					1	1		2
6	Ministry of Coal					1		1	1	3
	(i)	Ministry Proper				1		1	1	3
7	Ministry of Commerce and Industry				1	5	10	9	8	33
	(i)	Department of Commerce Proper, Delhi				1	1	2		4
	(ii)	Directorate General of Foreign Trade								
	(a)	Delhi				1	1		1	3
	(b)	Mumbai					1			1
	(iii)	Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS), Kolkata			1	2	5	5	5	18
	(iv)	Office of Economic Adviser, Delhi					1	1	1	3
	(v)	Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Delhi				1	1	1	1	4
8	Ministry of Communications					2	2	2		6
	(i)	Department of Telecommunication, Delhi				1	1	1		3
	(ii)	Department of Posts, Delhi				1	1	1		3

Sl. No.	Ministry or Department		Sanctioned Posts in							Total
			Apex (L-17)	HAG+ (L-16)	HAG (L-15)	SAG (L-14)	NFSG/ JAG (L-12/13)	STS (L-11)	JTS (L-10)	
	(a)	Department Proper, Delhi				1	1			2
	(b)	Tax Research Unit, Delhi					1	2		3
	(c)	Financial Intelligence Unit-India, Delhi						2		2
	(d)	Directorate General of Performance Management and Central Board of Indirect Taxes and Customs, Delhi				1	1	2		4
	(e)	Office of Principal Directorate General of Income Tax, (Admin and TPS), CBDT, Delhi				1	2	1		4
20	Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying					2	3	4	5	14
	(i)	Department of Fisheries, Delhi				1	1	2	2	6
	(ii)	Department of Animal Husbandry and Dairying, Delhi				1	2	2	3	8
21	Ministry of Food Processing Industries, Delhi					1		1	1	3
22	Ministry of Health and Family Welfare			1		7	7	14	7	36
	(i)	Department of Health and Family Welfare, Delhi		1		2	5	5	2	15
	(ii)	Directorate General of Health Services (DGHS)								
	(a)	DGHS Hqrs., Delhi				1		1	2	4
	(b)	All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata				1	1			2
	(c)	National Centre for Disease Control, New Delhi				1			1	2
	(d)	National Tuberculosis Institute (NTI), Bengaluru				1		1		2
	(e)	Central Bureau of Health and Intelligence (CBHI)								
	i	Delhi Headquarters				1	1		2	4
	ii	Bengaluru						1		1
	iii	Bhopal						1		1
	iv	Jaipur						1		1
	v	RHSTC, Mohali						1		1
	vi	Patna						1		1
	vii	Bhubaneswar						1		1
	viii	Lucknow						1		1
23	Ministry of Heavy Industries, Delhi						1	1		2
24	Ministry of Home Affairs					4	4	7	3	18
	(i)	Registrar General of India (RGI), Delhi				2	3	3	3	11
	(ii)	Intelligence Bureau (IB), Delhi				1		1		2
	(iii)	National Crime Records Bureau (NCRB), Delhi				1	1	1		3
	(iv)	Integrated Control Room for Emergency Response (ICR-ER), Disaster Management Division, Delhi						2		2

Sl. No.	Ministry or Department		Sanctioned Posts in							
			Apex (L-17)	HAG+ (L-16)	HAG (L-15)	SAG (L-14)	NFSG/JAG (L-12/13)	STS (L-11)	JTS (L-10)	Total
25	Ministry of Housing and Urban Affairs				1	2	2	1		6
	(i)	Ministry Proper, Delhi			1	2	2	1		6
26	Ministry of Jal Shakti					3	5	4	5	17
	(i)	Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation								
	(a)	Department Proper, Delhi				2	1	1	2	6
	(b)	Central Water Commission, Delhi					2	1	2	5
	(c)	Central Water and Power Research Station, Pune					1		1	2
	(d)	Central Ground Water Board, Faridabad					1	1		2
	(ii)	Department of Drinking Water and Sanitation, Delhi				1		1		2
27	Ministry of Labour and Employment			1		3	3	4	7	18
	(i)	Ministry Proper, Delhi		1		1	1	2	2	7
	(ii)	Directorate General of Employment, Delhi				1		1	1	3
	(iii)	Directorate General of Mines Safety, (DGMS), Dhanbad				1	1			2
	(iv)	Labour Bureau								
	(a)	Kanpur							1	1
	(b)	Kolkata							1	1
	(c)	Ahmedabad							1	1
	(d)	Chandigarh					1	1	1	3
28	Ministry of Law and Justice						1	1		2
	(i)	Department of Justice, Delhi					1	1		2
29	Ministry of Micro Small and Medium Enterprises (MSME)					2	3	5	6	16
	(i)	Ministry Proper, Delhi				1	2	1		4
	(ii)	Office of Development Commissioner								
	(a)	Delhi Headquarters				1	1	1	5	8
	(b)	Delhi Regional Office						1	1	2
	(c)	Chennai						1		1
	(d)	Mumbai						1		1
30	Ministry of Mines						1	2	2	5
	(i)	Ministry Proper, Delhi					1	1	1	3
	(ii)	Indian Bureau of Mines (IBM), Nagpur						1	1	2
31	Ministry of Minority Affairs						1	1		2
	(i)	Ministry Proper, Delhi					1	1		2
32	National Commission for Scheduled Castes, Delhi							1		1
33	Ministry of New and Renewable Energy, Delhi					1	1		1	3
34	NITI Aayog				1	3	7	7	4	22
	(i)	NITI Aayog, Delhi			1	2	4	4	4	15

Sl. No.	Ministry or Department		Sanctioned Posts in							Total
			Apex (L-17)	HAG+ (L-16)	HAG (L-15)	SAG (L-14)	NFSG/ JAG (L-12/13)	STS (L-11)	JTS (L-10)	
	(ii)	Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO), Delhi				1	3	3		7
35	Ministry of Panchayati Raj, Delhi							1		1
36	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions						1	1		2
	(i)	Department of Personnel and Training, Delhi					1	1		2
37	Ministry of Petroleum and Natural Gas, Delhi					1	1	1		3
38	Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Delhi					1	1	1		3
39	Ministry of Power, Delhi					1		1		2
40	Ministry of Road Transport and Highways, Delhi					1		1		2
41	Ministry of Rural Development				1	2	3	2	4	12
	(i)	Department of Rural Development, Delhi			1	1	2	1	4	9
	(ii)	Department of Land Resources, Delhi				1	1	1		3
42	Ministry of Science and Technology					1	2	1		4
	(i)	Department of Biotechnology, Delhi					1	1		2
	(ii)	Department of Science and Technology, Delhi				1	1			2
43	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Delhi					1	1	1		3
44	Ministry of Social Justice and Empowerment					2	1	2	2	7
	(i)	Department of Social Justice and Empowerment, Delhi				1	1	1	1	4
	(ii)	Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Delhi				1		1	1	3
45	Ministry of Steel, Delhi					1	1	1	1	4
46	Ministry of Textiles					1	1	2		4
	(i)	Ministry Proper, Delhi				1		1		2
	(ii)	Development Commissioner (Handicrafts), Delhi					1			1
	(iii)	Office of Textile Commissioner, Mumbai						1		1
47	Ministry of Tourism				1	1	1	1	3	7
	(i)	Department of Tourism, Delhi			1	1	1	1	3	7
48	Ministry of Tribal Affairs, Delhi					1	1	1		3
49	Ministry of Women and Child Development, Delhi					1	1	2	4	8
50	Ministry of Youth Affairs and Sports						2	2		4
	(i)	Department of Sports, Delhi					1	1		2
	(ii)	Department of Youth Affairs, Delhi					1	1		2
51	Ministry of Statistics and Programme Implementation		1	2	12	73	90	80	217	475
	National Statistics Office (NSO)		1	2	12	73	90	80	217	475
	1	Office of Chief Statistician of India						1		1
	2	Principal Director General	1							1
	3	Director General		2						2
	4	Economic Statistics Division, Delhi			1	2	3	3	2	11

Sl. No.	Ministry or Department		Sanctioned Posts in							
			Apex (L-17)	HAG+ (L-16)	HAG (L-15)	SAG (L-14)	NFSG/JAG (L-12/13)	STS (L-11)	JTS (L-10)	Total
5	National Accounts Division, Delhi				1	4	8	7	4	24
6	Price Statistics Division, Delhi				1	1	2	2	2	8
7	Social Statistics Division, Delhi				1	3	3	4	2	13
8	Capacity Development Division				1*	1	4	5	1	12
	(a)	National Statistical System Training Academy, Greater Noida				1	3	4		8
	(b)	Training Unit, Delhi					1	1	1	3
9	Coordination and International Cooperation Division (CICD)				1*	2	3	3	2	11
	(a)	Coordination Unit, Delhi					1	1	1	3
	(b)	State Unit, Delhi				1	1	1	1	4
	(c)	International Cooperation Unit, Delhi				1	1	1		3
10	Administrative Statistics and Policy Division (ASPD), Delhi				1	1	1	1	1	5
11	Data Informatics and Innovation Division (DIID)				1*	2	2	2	3	10
	(a)	DIID, Delhi				1	1		2	4
	(b)	Artificial Intelligence and Big Data Unit, Delhi				1	1	2	1	5
12	Programme Implementation Division					2	2	3		7
	(a)	MPLADS, Delhi				1	1	2		4
	(b)	IPMD, Delhi				1	1	1		3
13	Research and Analysis Unit and Media and Publicity Unit					1@	2	2	1	6
	(a)	Research and Analysis Unit, Delhi						2	1	3
	(b)	Media and Publicity Unit, Delhi					2			2
14	National Statistical Commission Secretariat and ISI Unit, Delhi					1	2			3
15	Survey Division				2	14	22	14	14	66
15.1	Household Survey Division									
	(a)	Household Survey Division, Kolkata			1*	5	8	6	4	24
	i.	Household Survey Unit, Nagpur				1	1	1	2	5
	ii.	Household Survey Unit, Bengaluru				1	2	1	1	5
15.2	Enterprise Survey Division									
	(a)	Enterprise Survey Division, Kolkata			1*	5	8	4	3	21
	i.	Enterprise Survey Unit, Delhi				1	1	1	2	5
	ii.	Enterprise Survey Unit, Giridih					1		1	2
	iii.	Enterprise Survey Unit, Ahmedabad				1	1	1	1	4
16	Field Operations Division				2	39	36	33	185	295
	(a)	Headquarters, Delhi			1#	4	3	7	4	19

Sl. No.	Ministry or Department		Sanctioned Posts in							Total
			Apex (L-17)	HAG+ (L-16)	HAG (L-15)	SAG (L-14)	NFSG/ JAG (L-12/13)	STS (L-11)	JTS (L-10)	
	9	Kozhikode					1		1	2
		9.1	Kannur						1	1
		9.2	Palakkad						1	1
		9.3	Thrissur						1	1
	10	Bengaluru				1		1	1	3
		10.1	Mangalore						1	1
		10.2	Mysore						1	1
		10.3	Shivamogga						1	1
	11	Hubli					1		1	2
		11.1	Belgaum/ Belagavi						1	1
		11.2	Bellary						1	1
		11.3	Kalaburgi/ Gulbarga						1	1
	12	Goa/ Panjim					1		1	2
	16.5	Central Zone (RO-8, SRO-22)				3	5	3	32	43
	1	Dehradun				1		1	1	3
		1.1	Almora						1	1
	2	Bareilly					1		1	2
		2.1	Saharanpur						1	1
		2.2	Moradabad						1	1
		2.3	Sitapur						1	1
	3	Lucknow				1		1	2	4
		3.1	Gonda						1	1
		3.2	Fatehpur						1	1
		3.3	Jhansi						1	1
		3.4	Kanpur						1	1
	4	Allahabad/ Prayagraj					1		2	3
		4.1	Gorakhpur						1	1
		4.2	Azamgarh						1	1
		4.3	Faizabad/ Ayodhya						1	1
		4.4	Varanasi						1	1
	5	Agra					1		1	2
		5.1	Aligarh						1	1
		5.2	Meerut						1	1
	6	Gwalior					1		1	2
		6.1	Ratlam						1	1
		6.2	Shivpuri						1	1
		6.3	Ujjain						1	1
	7	Jabalpur					1		1	2
		7.1	Rewa						1	1

Sl. No.	Ministry or Department			Sanctioned Posts in							
				Apex (L-17)	HAG+ (L-16)	HAG (L-15)	SAG (L-14)	NFSG/JAG (L-12/13)	STS (L-11)	JTS (L-10)	Total
		7.2	Sagar							1	1
	8	Bhopal					1		1	1	3
		8.1	Chhindwara							1	1
		8.2	Indore							1	1
		8.3	Khandwa							1	1
	16.6	West Zone (RO-7, SRO-19)					3	4	3	27	37
	1	Raipur					1		1	1	3
		1.1	Durg							1	1
		1.2	Ambikapur							1	1
		1.3	Bilaspur							1	1
	2	Nagpur						1		2	3
		2.1	Akola							1	1
		2.2	Amravati							1	1
	3	Pune						1		1	2
		3.1	Kolhapur							1	1
		3.2	Solapur							1	1
	4	Mumbai					1		1	1	3
		4.1	Thane							1	1
	5	Aurangabad						1		1	2
		5.1	Jalgaon							1	1
		5.2	Nanded							1	1
		5.3	Nashik							1	1
	6	Ahmedabad					1		1	1	3
		6.1	Jamnagar							1	1
		6.2	Rajkot							1	1
		6.3	Bhavnagar							1	1
		6.4	Surendranagar							1	1
	7	Vadodra						1		1	2
		7.1	Nadiad							1	1
		7.2	Surat							1	1
		7.3	Mehsana							1	1
		7.4	Valsad							1	1
41	Reserve									70	70
	Total			1	4	22	143	190	206	368	934

* HAG level officer will oversee the offices under their respective Divisions.

@ SAG level officer will oversee the offices under their respective Divisions.

HAG level officer will oversee the offices (FOD Headquarter, Agriculture Statistics Wing and Regional Offices).

§ HAG level officer will oversee the offices (C&QCD Headquarter and Zonal Offices).

Note: The allocation of the above sanctioned posts is indicative and may be operated in a flexible manner, based on administrative exigencies and suitability of officers.

[F. No. 11011/01/2018-ISS]

PUJA SINGH MANDOL, Addl. Secy.